

**राजस्थान विधान सभा**  
**आठवां सत्र**  
**कार्य-सूची**  
**सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2017**  
**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. शपथ अथवा प्रतिज्ञान**

श्रीमती शोभारानी कुशवाह, उप चुनाव में नव-निर्वाचित सदस्य, भारत के संविधान के प्रति शपथ लेंगी अथवा प्रतिज्ञान करेंगी ।

**2. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

(क) सचिव, राजस्थान विधान सभा वर्तमान सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ।

**(ख) अधिसूचनार्ये**

1- श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्ये सदन की मेज पर रखेंगे :-

**आबकारी विभाग**

- 1- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2017पार्ट-1 दिनांक 1.4.2017 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किये गये हैं ;
- 2- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2017पार्ट-1 दिनांक 1.4.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.4(62)वित्त/आब/96 दिनांक 31.3.1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किये गये हैं ;
- 3- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2017पार्ट-1 दिनांक 1.4.2017 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साईज (ग्रान्ट ऑफ रेस्टोरेंट बार लाइसेन्सेज) नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2017पार्ट-1 दिनांक 1.4.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विदेशी शराब (थोक व्यापार और खुदरा विक्रय की अनुज्ञप्ति की मंजूरी) नियम, 1982 में संशोधन किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2017पार्ट-1 दिनांक 1.4.2017 जिसके द्वारा देशी मदिरा की मासिक पूर्ति से अधिक उठाव पर देय आबकारी शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

**(ग) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे**

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II) श्री अजय सिंह, सहकारिता मंत्री, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत निम्नांकित अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2015-2016 ;
- 2- राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2015-2016 ; एवं
- 3- राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2015-2016.

**4. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन  
का उपस्थापन एवं उस पर विचार**

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 32वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 32वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

**5. विधायी कार्य**

**(क) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक**

**(I) राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान माल और सेवा कर  
विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-29)

"राजस्थान राज्य द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिये और इससे संबंधित या आनुषांगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने हेतु विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

**(II) राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017**

- (I) श्री श्रीचन्द कृपलानी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-27)

"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

**(III) प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-28)

"राजस्थान राज्य में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषांगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

**(ख) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक**

**(I) जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-14)

"जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(II) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन)  
विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-15)

"राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम,  
1946 को और संशोधित करने के लिए  
विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(III) मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय  
(संशोधन) विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-16)

"मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय  
अधिनियम, 1962 को और संशोधित  
करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(IV) राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य  
विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन)  
विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-17)

"राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य  
विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012  
को और संशोधित करने के लिए  
विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(V) महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,  
बीकानेर(संशोधन) विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-18)

"महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,  
बीकानेर अधिनियम, 2003 को और  
संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

**(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)**

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(VI) गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

गोविन्द गुरु जनजातीय  
विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा(संशोधन)  
विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-19)

"गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय,  
बांसवाड़ा अधिनियम, 2012 को और  
संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

**(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)**

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(VII) कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन)  
विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-20)

"कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम,2003  
को और संशोधित करने के लिए  
विधेयक ।"

**(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)**

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(VIII) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन)**

**विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी  
विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन)  
विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-21)

"पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी  
विश्वविद्यालय,सीकर अधिनियम, 2012  
को और संशोधित करने के लिए  
विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(IX) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,  
कोटा(संशोधन) विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-22)

"वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,  
कोटा अधिनियम, 1987 को और  
संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(X) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

महर्षि दयानन्द सरस्वती  
विश्वविद्यालय (संशोधन)  
विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-23)

"महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय  
अधिनियम,1987 को और संशोधित करने  
के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(XI) महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय,  
भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-24)

"महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय,  
भरतपुर अधिनियम, 2012 को और  
संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(XII) हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2017

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और  
जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर  
(निरसन) विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-25)

"हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार  
विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012  
को निरसित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(XIII) राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-26)

"भामाशाह मंच के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेश, हिताधिकारियों को दक्ष और पारदर्शी रीति से लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के सीधे अंतरण और सेवाओं के परिदान का, और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों का, उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 21 अप्रैल, 2017

पृथ्वी राज  
सचिव